30-11-22 - पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। बहस वकील अपीलान्ट कि प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर व मूल अपील पर सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि पटवारी हल्का द्वारा सम्वत 2077 मे इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि ग्राम कंचनपुर में गै० मुमकिन जोहड़ी की भूमि ख० न० 236 कुल रकबा 24.78 है में से 0.06 रकबे पर पुख्ता मकान बनाकर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है ~~पट~~ पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 L R-Act के तहत दर्ज कर विधि विरुद्ध निर्णय दिनांक 22-1-2021 को पारित कर दिया। जबकि भूमि ख० न० 236 के कुछ हिस्से पर आबादी बसी हुई है। जिसमे अपीलार्थीया के ससुर व जेठ तथा बनवारी पुत्र चेतराम, नेकीराम पुत्र चेतराम के पक्ष में ग्राम पंचायत कंचनपुर व विकास अधिकारी कंचनपुर द्वारा अलग अलग पट्टे जारी किये गये है। जिसमे चार पट्टे जारी किये गये। पट्टो के [illegible] अपीलार्थीया व उसके परिवार [illegible] होकर निवास कर रहे है। [illegible] भूमि [illegible] ही माना जा सकता। ...

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:02:20 IST
Reason: SelfAttested

...म मुकदमा........................................................नम्बर 99 ....................................वर्ष 2021....

| ...रीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | पटवारी हल्का द्वारा बिना मौका देखकर रिपोर्ट पेश की है। जिस कारण पारित आदेश अपास्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जावे। तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर का आदेश दिनांक 22-1-2021 को अपास्त फरमाया जावे।<br><br>वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना दफा 5 मियाद अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।<br><br>मूल अपील की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड व रेस्पो० द्वारा प्राप्त मूल रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि पटवारी - रिपोर्ट में भूमि ख० न० 236 कुल रकबा 24.78 हे० किस्म गै०मुमकिन जोहड़ी में से 0.06 हे० पर पुख्ता मकान टीन सैड, चार दीवारी लगाकर अतिक्रमण किया जाना अंकित किया है। जबकि पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट के पिछे जो नजरी नक्शा बनाया है उसमें अतिक्रमण कितने रकबे पर किया गया है जो अंकित नही किया गया है। एवं ना ही चारो दिशाओ का माप अंकित किया गया ... वकील अपीलान्ट का यह कथन सही ... अधिकारी द्वारा चार पट्टे जारी किये ...... | |

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अ... जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:02:20 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व ... जो ... तामील |
|---|---|---|
| | गये है जिनकी फोटो प्रति पत्रावली में शामिल है। इससे यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा जारी पट्टो के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं कि गई है। एवं ना ही पट्टो का अपने निर्णय में किया है। इस प्रकार अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। | |
| | अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाती है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-1-2021 अपास्त किया जाकर अपील अपीलान्ट तहसीलदार को इस आदेश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि मौके पर चारो दिशाओ का माप जोख किया जावे एवं अपीलान्ट को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देते हुए तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन कर अपना निर्णय पुनः पारित करे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को निर्णय की प्रति के साथ तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:02:20 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)